सरकारी कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम की 10 फीसदी राशि कटौती 1 अप्रैल से बंद

कर्मचारियों का जो पैसा अब तक जमा हो चुका, वह आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद रिटायरमेंट के वक्त ब्याज समेत मिलेगा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी रकम कटौती खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। जनवरी 2004 से भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन से अब हर माह होने वाली 10 फीसदी कटौती नहीं होगी। इसके पहले हुई जो रकम कर्मचारियों की काटी गई है, उसे पेंशनर्स मेडिकल फंड की राशि (आरजीएचएस) में समायोजित करने के बाद बचे हुए पैसे को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित दिया जायेगा। सोमवार को विधानसभा में राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक-2022 पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।

- खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह 20 हजार रु. पेंशन देगी राज्य सरकार
- महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में बनेगा महिला को-ऑपरेटिव बैंक, सरकार देगी 250 करोड़ का फंड

गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। न्यू पेंशन की 10 फीसदी रकम कटौती खत्म होने से हर कर्मचारी को प्रतिमाह 2000 से लेकर 10 हजार रुपए तक ज्यादा रकम मिलेगी। गहलोत ने बजट में 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम खत्म कर इसी साल से 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 फीसदी पैसा एनपीएस के लिए काटा जाता था, उतना ही पैसा सरकार मिलाती थी।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा भी कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत खिलाड़ियों को 40 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। इस बैंक को राज्यसरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी।

अधिवक्ता की लापता पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने लगाया जाम

वकील की पुत्रियों को 45 दिन बाद भी नहीं खोजने पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को जयपुर में हाईकोर्ट के बाहर और कलेक्ट्री के बाहर जाम लगाया।

जयपुर, (का.सं.)। शहर के एक अधिवक्ता की करीब 45 दिन से लापता दो पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने शहर के दो मुख्य मार्गों पर जाम लगा दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले में एसआईटी गठित कर लापताओं की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दी बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने सेशन कोर्ट के बाहर एमआई रोड को जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इसी तरह हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट के बाहर बीच सड़क पर टैंट लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। एक ही समय दो मुख्य मार्ग जाम होने के चलते शहर का यातायात भी कई घंटों तक अव्यवस्थित रहा। दोनों बार एसोसिएशन ने तीन दिन पूर्व मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को इस संबंध में लिखित में अल्टीमेटम दे दिया था।

- अधिवक्ता की लापता पुत्रियों की बरामदगी नहीं होने पर वकीलों ने लगाया जाम
- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजयपाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआईटी गठित
- 45 दिन से लापता पुत्रियों का आज तक पता नहीं लगा पाई पुलिस

हाईकोर्ट के बाहर जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वकीलों को समझाने का प्रयास किया। वहीं मामले में डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम अजय पाल लांबा के नेतृत्व में 16 पुलिसकर्मियों की एसआईटी गठित की गई है। इस टीम के द्वारा की गई कार्रवाई की रोजाना पुलिस आयुक्त को सूचना देनी होगी। वहीं एसओजी और एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक एसआईटी को सभी तकनीकी और ऑपरेशनल सहयोग उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता अवधेश कुमार पुरोहित की 16 और 17 साल की दो बेटियां रमा और भावना करतारपुरा स्थित लाईसीएम सीनियर सैकण्डरी स्कूल से गत तीन फरवरी को लापता हो गई थी। इसे लेकर महेश नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन दोनों बच्चियों को अब तक बरामद नहीं किया गया है। दोनों की आखिर लोकेशन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी की आई थी। इसके बावजूद पुलिस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। बार एसोसिएशन ने दोनों बच्चियों की सूचना देने पर 51 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। वहीं दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियों को लापता हुए डेढ़ माह से ज्यादा समय बीत चुका है। यदि अब भी लापता बेटियां बरामद नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिवक्ता अवधेश कुमार की 17 और 16 साल की दो पुत्रियां रमा और भावना 3 फरवरी को बीमारी की बात कहकर स्कूल से निकली थी। वहीं बाद दोनों लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और फिर निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में भी अकेली घूमते सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई हैं। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है।

सरकार की अन्य घोषणाएं

❖ फूड सेफ्टी निदेशालय बनेगा।
❖ 500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे।
❖ बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू होगी, इसमें पूरा खर्च को रिएम्बर्स किया जाएगा।
❖ 9 से 12 वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ की लागत से ई लाइब्रेरी।
❖ 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
❖ शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च होंगे।
❖ खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी, 18 करोड़ खर्च होंगे।
❖ अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलिंपिक भी होगा।
❖ ग्रामीण ओलिंपिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता।
❖ अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी।
❖ स्कूलों में बच्चों को मिड-डे-मील में दो दिन दूध दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ रु. खर्च होंगे।
❖ शहरों में लिक्विड कचरे से मीथेन गैस बनाने के प्लांट लगेंगे।
❖ प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने के 3 साल बाद अब जमीन-मकान बेच सकेंगे, पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था।
❖ मंडियों पर 0.5 फीसदी यूजर चार्ज को घटकर 0.2 फीसदी करने की घोषणा।
❖ डेयरी संघों को निर्देशित किया जाएगा कि दूध के दाम नहीं बढ़ाएं जाएं।
❖ बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी।
❖ ईटीटी प्रयोगशालाएं लगेंगी।
❖ खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य पालन विभाग का दफ्तर खुलेगा।
❖ चूरू किले के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रु. की घोषणा।
❖ क्रेडिट कॉपरेटिप सोसाइटीज की ठगी रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन अलग से डायरेक्ट्रेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस बनाने की घोषणा।
❖ जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसाइटी एक्ट में संशोधन होगा।
❖ 57 पंचायत समित मुख्यालयों पर सीडीपीओ, बीसीएमएचओ दफ्तर खुलेंगे।

'बजट घोषणाओं को लागू करेंगे, नहीं तो हम बदनाम होंगे, विपक्ष को चिंता क्यों?'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में कहा कि पूरे बजट सत्र में विपक्ष बार-बार कहता रहा है कि बजट कैसे लागू होगा? लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं हमारी सरकार की। बजट हम लागू नहीं करेंगे तो बदनाम हम होंगे। विपक्ष को हमारी फिक्र क्यों है। आप क्या आगाह करोगे, जब कोई तर्क लगता हो तो आगाह कीजिए। मैंने बजट घोषणाओं पर बैठक ले ली। 100 प्रशासनिक मंजूरियां निकाल दी हैं। हमारा वित्तीय प्रबंधन शानदार है। खर्चा हो रहा है, इसका मतलब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कटाक्ष सोमवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत तमाम बीजेपी विधायकों पर किया।

- अशोक गहलोत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम बीजेपी विधायकों पर कटाक्ष किया
- बीजेपी की मार्केटिंग में मास्टरी, हम काम ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग कम। कर्ज चुकाने की औकात है, इसलिए ले रहे, औकात से ज्यादा कर्ज की इजाजत भारत सरकार से नहीं मिलती : मुख्यमंत्री
- गहलोत ने कहा कि ''बीजेपी के नेताओं में मोदी और अमित शाह का डर बैठा हुआ है, इसलिए वे राजस्थान की ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग नहीं उठा रहे। हमारे साथ चलिए, कम से कम इसमें तो पैरवी कर दीजिए, केन्द्रीय जलमंत्री भी राजस्थान के हैं।''

गहलोत ने तंज कसा कि विपक्ष जानबूझकर बोल रहा है कि बजट लागू कैसे होगा? बीजेपी की तो मास्टरी है कि मार्केटिंग शानदार करनी है, चाहे काम कम करो। हम काम में लगे रहते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। बजट को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर आंकड़ों के खेल में फंसाकर रखा। बजट लागू नहीं होगा, यह कहकर अलग माहौल बनाने कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अलग है।

गहलोत ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना कर्ज नहीं ले सकते। जीएसडीपी हाई होगी तो कर्ज ज्यादा मिलेगा। आप भार बढ़ने की बात कैसे कह सकते हैं? देश और दुनिया की सरकारें भारी कर्ज लेकर विकास करती हैं। कर्ज उसी लिमिट में लिया जाता है, जिस लिमिट में चुकाने की कैपिसिटी हो, राज्य सरकार उससे ज्यादा ले ही नहीं सकती, इसलिए कर्ज का भार बढ़ने की बात गलत है। कर्ज उतना ही ले सकते हैं जितनी औकात है, हमारी कर्ज चुकाने की औकात है, इसलिए कर्ज ले रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा, केन्द्र की मोदी सरकार का राज्यों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। हमारे हिस्से का केंद्र सरकार से 68 हजार करोड़ रु. मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार केवल 49 हजार करोड़ रु. ही देगी। यानि कि पूरा 19 हजार करोड़ रु. राजस्थान को कम मिलेगा।

नए विधायक को स्पीकर ने पूरक प्रश्न पूछना सिखाया

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में प्रश्नकाल काल के दौरान विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को जब पूरक प्रश्न ठीक से नहीं पूछ पाईं। बार-बार असंगत पूरक प्रश्न पूछने पर स्पीकर ने ही विधायक दीप्ती महेश्वरी की सहायता करते हुए पूरक सवाल किया।

ज्ञानचंद पारख ने मोदी की तुलना भगवान शिव से की तो सदन में हंगामा मचा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना भगवान शिव (महादेव) से कर दी। जिस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया और पारख की बयानबाजी की निंदा करते हुए इसे हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया।

- कांग्रेस विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी बोले ''यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है''

दरअसल राजस्थान वित्त-विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने ''पीएम मोदी को महादेव का अवतार बता दिया। उन्होंने कहा, किसी जमाने में हर हर महादेव बोला जाता था, उसके बाद हजारों इष्ट हुए, हजारों नेता हुए, लेकिन उसके बाद कोई नारा लगा है तो वह हर हर मोदी का लगा है। हर हर राम और हर हर कृष्ण का नारा लगा, अब हर हर मोदी का नारा लगा है। जैसे महादेव ने विषपान किया था, वैसे ही मोदी को भी देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विषपान करवाया, पर उन्होंने कभी कोई बात मन में नहीं रखी। सारे जहर को पीकर भी उसने राष्ट्र हित में जो-जो काम करने थे, वे सारे काम किए। जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय होता है। मोदी की तीसरी आंख खुली तो कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो गया। तीसरी आंख खुली तो पाकिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। पारख ने आगे कहा कि जब महादेव डमरू बजाते हैं तो राम मंदिर का निर्माण होता है। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होता है। धारा 370 और 35 ए की धारा खत्म हो जाती है।''

प्रधानमंत्री मोदी को महादेव का अवतार बताने पर जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित कई कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की। जोशी ने कहा कि महादेव की जगह कोई नहीं ले सकता। किसी इंसान से महादेव की तुलना करके हिंदुओं की आस्था का अपमान किया गया है। आपको महादेवजी को पूजना नहीं है, आपको केवल बयानबाजी करनी है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पारख अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से कह दें कि महादेव की मूर्ति हटाकर मोदी की मूर्ति लगा दीजिए। यह तुलना गलत है। विधानसभा में इस पर कुछ देर के लिए हंगामे के हालात बने रहे।

क्या गधों और कांग्रेस का कोई गठजोड़ है : राठौड़

जयपुर। विधानसभा में आज बहस के दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पशुगणना में गधों की संख्या में आई कमी पर कहा कि जहां कांग्रेस सिकुड़ती गई उन राज्यों में गधे भी कम होते चले गए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि गधों और कांग्रेस का कोई गठजोड़ है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में ऊंट और गधों की संख्या में कमी आई है। राठौड़ ने कहा कि देश में गधों की संख्या कहां कम हुई, ये देखा तो आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतलब जिन राज्यों में चुनाव हुए इन राज्यों में से 90 सीटों में से महज 55 सीट ही कांग्रेस के पास आई। राठौड़ ने कहा जहां आप सिकुड़ते चले गए, उन राज्यों में गधे भी कम होते गए। इस बीच सभापति जेपी चंदेलिया ने राठौड़ को टोका और कहा कि इन शब्दों का उपयोग ना करें। तब राठौड़ ने कहा ऐसा कदाचित नहीं है। राठौड़ की बात पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने संस्कृत श्लोक पढ़ा। राठौड़ जब सदन में व्यंगात्मक तरीके से कांग्रेस पर गधों के आंकड़ों को लेकर कटाक्ष कर रहे थे। तब सदन में मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आपको नहीं पता देश में सर्वाधिक गधे गुजरात में हैं।

भंवर सिंह भाटी घिरे सवालों में

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबित विद्युत कनेक्शनों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री भंवर सिंह भाटी भी घिर गए। वे पहले नेता प्रतिपक्ष और फिर स्पीकर सीपी जोशी के सवाल का उचित जवाब नहीं दे पाए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरक प्रश्न पूछा कि जिनका पैसा डिमांड जारी होने के बाद जमा हो गया फरवरी, 21 में ही, उन्हें आज मार्च, 22 तक भी कनेक्शन क्यों नहीं मिला। इसका जवाब नहीं मिलने पर अध्यक्ष ने पूछा कि डिमांड निकालते समय विभाग को क्या यह असेसमेंट नहीं है कि कितना सामान चाहिये होगा? स्पीकर के बार-बार सही जवाब देने के लिए टोकने पर भी वह असंगत जवाब देते रहे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं।

अपेक्स बैंक की मोबाइल बैंकिग एवं व्हाट्सएप बैंकिग सेवा शुरू

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को अपेक्स बैंक परिसर में मोबाइल बैंकिग एप, व्हाट्सएप बैंकिग, जयपुर रेलवे जंक्शन एवं कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर एटीएम की सुविधा तथा सहकारी बैंकों के लिए न्यू एचआरएमएस पोर्टल के शुभांरभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिग सेवा, व्हाट्सएप बैंकिग सेवा, एटीएम सुविधा एवं न्यू एचआरएमएस पोर्टल प्रारंभ करने से उपभोक्ताओं एवं सहकारी बैंकों के कार्मिकों को आसानी से बैंकिग सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा बैंकिग क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को सहकारी बैंक भी लागू कर रहे है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधाओं में और विस्तार करने की आवश्यकता है।

आंजना सोमवार को अपेक्स बैंक परिसर में मोबाइल बैंकिग एप, व्हाट्सएप बैंकिग, जयपुर रेलवे जंक्शन एवं कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर एटीएम की सुविधा तथा सहकारी बैंकों के लिए न्यू एचआरएमएस पोर्टल के शुभांरभ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से और नवाचार किए जाए ताकि संस्थाओं में पारदर्शिता एवं डिलवरी सिस्टम को आसान बनाया जा सके।

- न्यू एचआरएमएस पोर्टल से सहकारी बैंकों के कार्मिकों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं

उन्होंने कहा कि हर पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जा रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आईटी का उपयोग कर आय को बढ़ाया जाए।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऋण माफी में ऑनलाइन व्यवस्था में आधार आधारित प्रमाण को लागू कर पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी का लाभ वास्तविक किसान को दिलाया। ऋण माफी की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। ऋण वितरण में भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर फसली ऋण से वंचित किसान को ऋण वितरण से जोड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था में बॉयोमैट्रिक प्रणाली लागू कर किसान की खरीद सुनिश्चित की है। इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिला है। मोबाइल बैंकिग सेवा रू. शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा तैयार किये गये मोबाईल एप्प से बैंक के ग्राहक अपने मोबाईल से अपने खातों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ बैलेन्स इन्क्वायरी, मिनि स्टेटमेन्ट, कस्टमाइज्ड स्टेटमेन्ट, एम-पासबुक प्राप्त कर सकेंगे। बैंक के ग्राहक, के माध्यम से किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को राषि हस्तांतरित कर सकेंगे। साथ ही ग्राहकों को भारत बिल पेमन्ट सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रिक सिटी, पानी, गैस, डीटीएच, फास्टेग आदि की सेवायें मोबाईल एप्प पर प्राप्त हो सकेंगी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

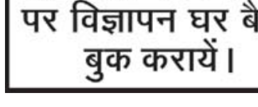

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/S AXIS LAW PARTNERS REGISTERED ADDRESS :- LOWER GROUND FLOOR, 20/74, KAVERI PATH, MLA QUATERS, MANSAROVER, JAIPUR पंजीयन सख्या RF/JPU/2018/3704 में दिनांक 01/02/2022 से भागीदार श्री अभिसार भानु व अश्वनी कुमार गुप्ता रिटायर हो गये है, यदि किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में आपत्ति दर्ज करावे।
M/S AXIS LAW PARTNERS

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

Notice under order V Rule 20 Code of Civil Procedure

PUBLICATION NOTICE

MACA No. 765/ 2014 & CM Nos. 45648/2017 (U/O 22 R 4 CPC for LRs of deceased R-2). 45649/2017 (condonation of delay)
Appeal Against order dated 18-01-2014
Passed By Mr. Ajay Kumar Jain, PO MACT, Saket Courts, New Delhi.
In Suit No. 377/11
Case No. MACA-765/2014 & CM. No. 45648/2017 & 45649/2017
SH. VINAY KUMAR ... Appellant
Vs.
SH. HORI LAL @ HODEL SINGH & ORS ... Respondents
Notice to:- LRs of R. No. 2.
Smt. Rajwati, W/o Late Sh. Bihari Lal, R/o 119/284, Aggarwal Farm, Near Police Thana, Manasarover, Jaipur, Rajasthan
Whereas the appellant/petitioner has instituted appeal/petition in this Court against the respondent(s) Sh. Bihari Lal since died and whereas the said alleging that you are one of legal representative of the said deceased and desiring that you be also made a respondent in his place.
Whereas the above noted appellant has presented an appeal Under Section 173 of MV Act. Which was listed before the Court on 25-08-2014 and applications for LRs of deceased R-2 & condonation of delay which were listed before the Court on 15-12-2017 and the Court ordered issuance of notice to you in appeal and Notice of the applications were also ordered to be issued to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned appeal & applications you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Joint Registrar (J) Court on 18-04-2022 at 11.00 A.M.
If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorised to act for you in the said appeal & applications on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said appeal & applications will be given and the same will be heard and determined exparte in your absence.
Given under my hand and the seal of this Court, This the 20th day January, 2022.
Sd/-
Assistant Registrar
for Registrar General

विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि वाहन सं. RRM-705 है। इनके रजिस्टर्ड स्व. श्री S.F. MALVEA के स्वर्गवास के बाद इनके पुत्र श्री N.S. MALVEA के नाम से उक्त वाहन का हस्तान्तरण करने में किसी को आपत्ति हो तो 15 कार्य दिवस में सम्बन्धित कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी एन टी जयपुर में प्रस्तुत करें।
N.S. MALVEA, 96606-11592

आम सूचना
मकान संख्या 6/142 मालवीय नगर जयपुर के आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं Decleration Demand Note, परच्युल डीड का नक्शा खो गया है। मिलने पर सूचित करे-
नरेश रानी बजाज 9782538630

प्रकाशनार्थ
चौमूं। सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 784 खसरा नम्बर 1831/2 रकबा 0.9400 हैक्टेयर व 1835 रकबा 0.7100 हैक्टेयर किता 2 का कुल रकबा 1.6500 हैक्टेयर संपूर्ण मेरे मुवक्किल रामलाल पुत्र सांवरमल के अधिकारों की है जिस बाबत यदि किसी को आपत्ति है तो 7 दिवस के भीतर एतराज प्रस्तुत करें तत्पश्चात कोई एतराज मान्य नहीं होगा।

खोया पाया
मेरे मकान 30/45/7 मानसरोवर का आवंटन पत्र Handing Over Possession, Seven days मुहाना मंडी रोड पर गिर गया है। मिलने पर सूचित करें। मो.9414042676

मेरे भूखंड संख्या 108 योजना हीरा नगर ए अपोलो नगर हाउसिंग को. ऑपरेटिव सोसाइटी लि. की मूल रसीद गुम हो गई है। मिलने पर संपर्क करें। नाम मोहित कुमार नैनानी और दीपेश नैनानी। मो. 9829936650

प्रपत्र-5
राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
अपील/निगरानी संख्या- 81/2020
डॉ.अहसामुद्दीन...अपीलार्थी बनाम हीरालाल ...प्रत्यर्थी
(अपील अन्तर्गत धारा 15उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986)
प्रेषित-
हीरालाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति कोली, निवासी 8, न्यू फुल्वा कॉलोनी, रामगढ मोड, जयपुर-302002 ने इस आयोग के समक्ष जिला मंच जयपुर तृतीय के आदेश दिनांक 4.12.2019 जो परिवाद संख्या 1132/12 उनवानी डॉ. अहसासुद्दीन बनाम हीरालाल मै। पारित हुआ है के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपील व प्रलेखों की प्रतियां संलग्न की जा रही है।
आपको ये निर्देश दिये जाते है कि आप स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष दिनांक 24.3.22 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित हो। यदि आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपर्युक्त नियत तिथि व समय पर उपस्थित नहीं हुए तो अपील गुणावगुण के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णित कर दी जायेगी।
आज दिनांक 16.2.22 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
उप पंजीयक/रीडर
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान-जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 4/N/20 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्रीमती सुनीता देवी को आवंटन पत्रांक 270 दिनांक 30.06.2006 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा अन्तिम क्रेता श्री कृष्ण यादव के पक्ष में पंजीयन हेतु अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 3337 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 27.03.2010 को उप पंजियक भिवाडी में पंजिकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा उक्त आवास का बेचान दिनांक 12.10.2021 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री मुरारी लाल व श्री राजेश यादव पुत्रान श्री धनसिंह को संयुक्त नाम से किया गया है। श्री मुरारीलाल व श्री राजेश यादव द्वारा संयुक्त नाम से आवास का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क अल्प आय वर्ग बार विक्रय का राशि रूपये 5000.00 जमा कराकर चालान व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष में किया जावें। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 4/N/20 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी के संबंध मे किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री मुरारी लाल व श्री राजेश यादव पुत्रान श्री धनसिंह के पक्ष में मकान संख्या 4/N/20 अरावली विहार, विहार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी जिला अलवर के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत द्वितीय
आवासन भवन, मानसरोवर, जयपुर फोन 0141-2782772
क्रमांक: DHC-II/3447 जाहिर आम सूचना दिनांक: 16-03-2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 71/249, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 119.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री चित्र प्रताप राघव पुत्र श्री राजपाल सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3040 दिनांक 02.02.2005 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 02.04.2005 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 30.04.2005 के द्वारा श्री चित्र प्रताप राघव पुत्र श्री राजपाल सिंह के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 11.11.2011 करवाया गया। श्री चित्र प्रताप राघव के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री शिव कुमार भार्गव एवं श्रीमती कुसुम लता भार्गव को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 21.11.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात् श्रीमती कुसुम लता भार्गव की मृत्यु दिनांक 24.09.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री शिव कुमार भार्गव पुत्र श्री ललित मोहन भार्गव ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तांतरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास के 1/2 अविभाजित हिस्सा को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री शिव कुमार भार्गव पुत्र श्री ललित मोहन भार्गव के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के सम्पूर्ण हिस्से का हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री शिव कुमार भार्गव पुत्र श्री ललित मोहन भार्गव के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबंधक वृत द्वितीय, रा. आ. मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम गुलाब रॉय से बदलकर गुलाब रॉय सिंगला रख लिया है भविष्य में मुझे गुलाब रॉय सिंगला के नाम से जाना जावें। फ्लैट 801, दी ओरिजनस सनसिटी टाउनशिप सीकर रोड, हरमाडा, जयपुर

मैंने अपना नाम प्रवीण कुमार टाक से बदलकर प्रवीण टाक पुत्र श्री मनोहर लाल टाक रख लिया है। भविष्य में मुझे प्रवीण टाक (Praveen Tak) के नाम से जाना जाए। निवासी-एस-1, 28-28-ए, नंदगांव कॉलोनी, कैलाश नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान।

मैं हजारीलाल यादव पुत्र श्री कालुराम जाति यादव निवासी ग्राम कालियावास तहसील खंडेला जिला सीकर राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मेरे पुत्र राजेश कुमार को भविष्य में राजेश कुमार यादव पुत्र हजारीलाल यादव के नाम से जाना जावें।

मैं बासुदेव सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह निवासी शेख थोक, सिनसिनी भरतपुर राजस्थान का हूँ। मैंने मेरा पुराना नाम बासदेव से बदलकर बासुदेव सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे बासुदेव सिंह के नाम से जाना जायें।